

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2002/टेली/डब्ल्यूसीएम/6/जन./पार्ट

नई दिल्ली, 28.08.2012

दूरसंचार परिपत्र सं.09/2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

महानिदेशक
अ.अ.मा.सं., लखनऊ


विषय: दूरसंचार मंत्रालय को स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करने के संबंध में नीति।

संदर्भ: (i) सीसीई/एसईआर का दि. 25.04.2012 का पत्र सं.एस एंड टी/128/पार्ट IV/1725
(ii) बोर्ड का दिनांक 17.10.2007 का समसंख्यक पत्र.

केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों सहित सभी वायरलेस उपयोगकर्ताओं पर स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने के संबंध में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नीति उपर्युक्त संदर्भ 02 के तहत परिपत्रित की गई थी।

इस संबंध में कुछ रेलों ने वित्त निदेशालय की सहमति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नीति संबंधी दिशा-निर्देश की अब जांच कर ली गई है और इसे वित्त द्वारा सहमति प्राप्त हो गई है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690


ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2002/टेली/डब्ल्यूसीएम/6/जन./पार्ट

नई दिल्ली, 28.08.2012

प्रतिलिपि:

- (i) प्रधान लेखा-परीक्षा निदेशक, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली
- (ii) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), 224, रेल भवन, नई दिल्ली
(46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)


कृते वित्त आयुक्त, रेल

प्रतिलिपि:

1. एफ (एक्स) II एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड
2. सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें
3. प्रबंध निदेशक/रेलटेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.